भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3112

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों को बनाए रखना**

3112. श्री नीरज शेखरः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अपने मानकों को बनाए रखने के लिए दिल्ली में सम्बद्ध निजी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करता है;

(ख) सीबीएसई से सम्बद्धता हेतु निर्धारित मानकों का ब्यौरा क्या है और बोर्ड द्वारा ऐसे स्कूलों के निरीक्षण हेतु समय-सीमा क्या है;

(ग) बोर्ड ने अंतिम बार केनेडी पब्लिक स्कूल, राजनगर पार्ट-।। पालम कालोनी, नई दिल्ली का निरीक्षण कब किया था और निरीक्षण के दौरान कौन से मुख्य निष्कर्ष तथा कमियां सामने आयी थीं; और

(घ) निर्धरित मापदण्डों का अनुरक्षण नहीं करने के लिए स्कूल के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई था उस स्कूल में अगला निरीक्षण कब निर्धरित किया गया है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा)**

(क): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्वयम से संबद्ध स्कूलों का आवधिक निरीक्षण संचालित करता है, जोकि अब संबद्धता के विस्तार के समय किया जाता है।

(ख): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभिन्न दस्तावेजों जैसे पहचान प्रमाणपत्र, अनापत्ति प्रमाणपत्र, भूमि दस्तावेज़ सोसाइटी/न्यास विवरण, स्टाफ और छात्रों से जुड़े दस्तावेज़ का सत्यापन और अवसंरचना और सुविधाओं जिसमें कक्षाकक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि शामिल हैं जैसे विभिन्न पहलुओं पर स्कूलों का निरीक्षण करता है और सत्‍यापन करता है।

(ग): स्कूल का अंतिम निरीक्षण दिनांक 18.01.2010 को किया गया था। समिति ने अपने निष्कर्षों में संसूचित किया था कि स्कूल शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में बेहतर काम कर रहा है तथापि, खेल का मैदान पर्याप्त नहीं है।

(घ): स्कूल माध्‍यमिक स्‍तर दिनांक 31.03.2019 तक के लिए संबद्ध है। स्कूल की संबद्धता के विस्तार के समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमानुसार आवश्यक निरीक्षण किया जाएगा।